न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 35/2017 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा – **प्रार्थी**	**बनाम**	1. श्री प्रभुलाल रामसिंघानी पुत्र श्री रोचीराम रामसिंघानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स : – प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा स्थाई पता :– मकान संख्या, 20/40 गुरूदारा के पास, सिंधूनगर, भीलवाडा ––**विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 27.6.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री प्रभुलाल रामसिंघानी पुत्र श्री रोचीरांम रामसिंघानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् मिर्च पाउडर, लाल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इत्यादि का विकय कर रहा था। मैसर्स प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा (राज.) का विकेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत हल्दी पाउडर (ब्राण्ड – बंशी) के पॉलिथिन पैक के 500–500 ग्राम के 100 पैकेट पैक अवस्था में रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखन पर मिर्च पाउडर (ब्राण्ड – बंशी) Turmeric Powder, Brand- Banshi, Lot. No.-PM 10, Pkd. – Aug. 2016, Net. Wt. –500 gm., BEST BEFORE

8 MONTHS FROM PACKAGING,Veg. Symsbole – Prasent, Mfg.& Pkd.By.- Prabhu lal, Mahesh Kumar, Bazar No. 2, Dist.- Bhilwara (Raj.) इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) में मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म VA में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार हल्दीपाउडर (ब्राण्ड – बंशी) के नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। विपक्षी के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, एवं अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.09.2016 को समय 11:40 AM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा (राज.) पर पहुंचा। मैंनें विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया इस समय परिसर पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत श्री प्रभुलाल रामसिंघानी पुत्र श्री रोचीराम रामसिंघानी विक्रेता/मालिक उम्र– 59 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी मकान संख्या, 20/40 गुरूदारा के पास, सिंधूनगर, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु मिर्च पाउडर, लाल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इत्यादि का आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विक्रेता ने मौके पर बताया कि उनके द्वारा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एवं मिर्च पाउडर का निर्माण उनके आजाद नगर स्थित निर्माण इकाई में किया जाता है। विक्रेता मालिक ने साक्ष्य स्वरूप टीन नं. की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जिसमें फर्म का पता एवं फैक्ट्री का पता दोनों ही अंकित है। मौके पर विक्रेता/मालिक से खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई, विक्रेता/मालिक द्वारा खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत लाईसेस पर लाईसेंस संख्या 12214016000175 दिनांक 31.09.2015 को प्रस्तुत किया।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति हल्दी पाउडर (ब्राण्ड – बंशी) Batch No. PM-10 के 4 पैकेट पॉलिथिन पैक हल्दी पाउडर (ब्राण्ड – बंशी) वास्ते जाँच हेतु खरीदे एवं इस बाबत् 400 रू अक्षरे चार सौ रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा चारों पैकेट को गवाहों व विक्रेता के सामने चार साफ, सुखे, खाली, चौडे मुंह के प्लास्टिक के कन्टेनरों में डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–177 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन

के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–177 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री प्रभुलाल रामसिंघानी पुत्र श्री रोचीराम रामसिंघानी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों कों सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मोके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स 177 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करवाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.522 /Act /2016 / 572 दिनांक 21/09/2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना संख्या एक्स–177 हल्दी पाउडर (ब्राण्ड – बंशी) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री प्रभुलाल रामसिंघानी पुत्र श्री रोचीराम रामसिंघानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्ड हल्दीपाउडर (ब्राण्ड बंशी) का निर्माण एवं विकय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 12.05.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 22.06.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना हल्दीपाउडर (पोलिथिन पैक) मिसब्राण्ड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि हल्दीपाउडर (ब्राण्ड–बंशी) के लेबल पर पूर्ण पते का अंकन होना चाहिए के स्थान पर निर्माण स्थल का पूर्ण पता अंकित नही था। इसलिये लिया गया खाद्य नमूना हल्दीपाउडर (ब्राण्ड–बंशी) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्ड हल्दी पाउडर (पोलिथिन पैक) को विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षी ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनके द्वारा लेबल पर वही पता अंकित किया गया है जो टीन नं. पर अंकित है । अब उनके द्वारा नयी थैलिया पर प्रिंट करवा लिया गया है। प्रकरण में माफ करने का निवेदन किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि लिया गये खाद्य नमूने में किसी भी प्रकार की मिलावट नही पायी गई है एवं नमूना सही है। प्रथम गलती मानते हुए क्षमा करने की प्रार्थना की गई।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी । पत्रावली एवं दस्तावेजाज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.522 /Act /2016 /572 दिनांक 21/09/2016 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना संख्या एक्स–177 हल्दी पाउडर (ब्राण्ड – बंशी) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि हल्दीपाउडर (ब्राण्ड–बंशी) के लेबल पर पूर्ण पते का अंकन होना चाहिए के स्थान पर निर्माण स्थल का पूर्ण पता अंकित नही था। इसलिये लिया गया खाद्य नमूना हल्दीपाउडर (ब्राण्ड–बंशी) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्ड हल्दी पाउडर (पोलिथिन पैक) को विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।** उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री प्रभुलाल रामसिंघानी पुत्र श्री रोचीराम रामसिंघानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा राज द्वारा मिसब्राण्ड हल्दी पाउडर ब्राण्ड – बंशी का विक्रय एवं निर्माण करने के लिए दोषी है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/-रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 प्रभुलाल रामसिघानी पुत्र श्री रोचीराम रामसिंघानी विक्रेता/मालिक,
मैसर्स : - प्रभुलाल महेश कुमार बाजार न. 2, भीलवाडा राज
स्थाई पता :- मकान संख्या, 20/40 गुरूदारा के पास, सिंधूनगर, भीलवाडा (राज.)।

27/06/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा